संख्या-14 /आर0ई0एफ0-1965/58-1-2014-297/2014टी0सी0

प्रेषक

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उद्यान अनुभाग लखनऊ, दिनांक, 05 सितम्बर, 2014

विषय:- बाजार में प्याज एवं आलू के मूल्यों को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1679/58-2014/213/2014, दिनांक 04.7.2014 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्याज एवं आलू के थोक एवं फुटकर मूल्यों की वृद्धि को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में निरन्तर प्रभावी कार्यवाही किये जाने का निर्देश प्रेषित किया गया है।

2- दिनांक 01.7.2014 से 31.7.2014 तक की आलू की थोक एवं फुटकर विक्रय दरों तथा उनके विगत वर्ष 2013 की उसी तिथि से तुलना करने के उपरान्त स्थिति निम्नवत रही है:-

(1) दिनांक 01.7.2014 की तुलना में दिनांक 31.7.2014 को दरों में बृद्वि

- फुटकर विक्रय दरों में बृद्धि 10.63 प्रतिशत
- थोक विक्रय दरों में बृद्धि 08.74 प्रतिशत

(2) दिनांक 31.7.2014 को विगत वर्ष 2013 की तुलना में बृद्वि

- फुटकर विक्रय दरों में बृद्धि 75.88 प्रतिशत
- थोक विक्रय दरों में बृद्धि 85.10 प्रतिशत

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्याज और आलू के उपार्जन एवं बाजार पर निगरानी रखने के सम्बन्ध में निरन्तर प्रभावी कार्यवाही किया जाना आावश्यक है। आप द्वारा शीतगृहों से हो रही निकासी एवं बाजार में आवक को प्रोत्साहित करने एवं इनके मूल्यों को नियंत्रित रखने हेतु शासन के उक्त पत्र दिनांक 04.7.2014 पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की जा रही होगी। इसके लिये निम्नलिखित सुझाव समीचीन होंगे:-

(1) जनपद में स्थित निजी शीतगृहों का नियमित निरीक्षण कराकर शीतगृहों पर आलू की निकासी आदि की साप्ताहिक समीक्षा करते रहें

http://shasanadesh.up.nic.in

ताकि आलू किसानों/भण्डारणकर्ताओं को उचित मूल्य प्राप्त होता रहे तथा मण्डियों में आवश्यकतानुसार समुचित उपलब्धता भी बनी रहे।

(2) आवश्यकतानुसार शीतगृह स्वामियों, कृषकों/व्यापारियों एवं आढ़तियों की बैठक कराकर मण्डियों में आलू व प्याज की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में यथा आवश्यक कार्यवाही की जाय।

4- यह भी ज्ञातव्य है कि प्रदेश के शीतगृहों में भण्डारित लगभग 76 लाख मै0टन आलू में से अभी भी लगभग 59.50 लाख मै0टन आलू अवशेष है। प्रदेश में माह नवम्बर में नया आलू मण्डी में आने से पूर्व लगभग 04 माह तक खाने हेतु, बुवाई हेतु एवं प्रसंस्करण हेतु उपयोग होने के उपरान्त भी काफी मात्रा में आलू अवशेष रहेगा। यह भी तथ्य विचारणीय है कि मण्डियों में नया आलू आने के उपरान्त शीतगृहों में भण्डारित आलू का बाजार भाव स्वतः ही गिर जायेगा, परिणाम स्वरूप भण्डारणकर्ताओं को कम दरें प्राप्त होने के कारण हानि की सम्भावना रहेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आलू व प्याज के मूल्यों को नियंत्रित रखने के सम्बन्ध में यथेष्ट कार्यवाही करते हुये साप्ताहिक प्रगति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-14/आर0ई0एफ0-1965/(1)58-1-2014, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि-1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी उपर्युक्त विषय में समीक्षा करते हुये आवाश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

2. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in